ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 16/03.05.28(बी) / 2007-08 1 अगस्त 2007

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 24 अप्रैल 2007 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 9944/03.005.28(बी)/2006-07 के आंशिक संशोधन में, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि 24 अप्रैल 2007 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 72/03.05.28(बी)/2007-08 में दी गई छूटों के अधीन प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 04 अगस्त 2007 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से अपनी मांग और मीयादी देयताओं का 7.00 प्रतिशत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखे।

(वी.एस.दास)
कार्यपालक निदेशक